न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस
उनवान गोपाल बनाम भजनलाल वगै0
किस्म मुकदमा दावा मुकदमा नं. –279/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
14.08.2025	वादी की ओर से वकील श्री गिरिराज सिंह तंवर ने हाजिर आकर प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने अनापत्ती दर्ज की। अतः प्रार्थना स्वीकार कर मिसल नियत तारीख पेशी से तलब की गयी। वकील वादीगण ने निवेदन किया कि प्रकरण में दिनांक 13.08.2025 को विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल मिसल है सभी पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। अतः आज ही मुताबिक विभाजन प्रस्ताव ही वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री फरमाया जावे। जबाब में वकील प्रतिवादीगण ने भी विभाजन प्रस्ताव को सही होना स्वीकार किया तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव ही अन्तिम डिक्री किया जाने की सहमति प्रदान की। हमनें बहस उभय पक्षकारान की सुनी तथा उस पर मनन किया मामला तकास्मा का है। तथा उभय पक्ष अधिवक्तागण विभाजन प्रस्ताव अनुसार ही अन्तिम डिक्री किया जाने हेतु सहमत है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव ही वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री निम्नानुसार किया जाता है किः– आदेश वादीगण का वाद तहसीलदार रींगस से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू0अ0/2025/2932 दिनांक 12.08.2025 के ही अन्तिम डिक्री किया जाता है। राजस्व ग्राम संतोषपुरा पटवार हल्का चौमुपुरोहितान के भूमि ख0न0 741/216, 743/216, 745/214, 747/214, 222, 223 कुल किता–6 कुल रकबा 1.6520 व भूमि ख0न0 225, 226, 749/475 कुल किता–3 कुल रकबा 0.76 है0 का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। इसी भांति पर्चा डिक्री कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी रींगस सीकर उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)	Kuldeep

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2025.08.26 11:31:12 IST
Reason: SelfAttested